राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ जयपुर
(Phone : 0141-2227481,2227555, FAX: 2227602, Help line No.15100)

क्रमांक : 148

दिनांकः–31.03.2017

कार्यालय आदेश

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 के विनियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति जोधपुर हेतु अंकित अधिवक्ता को निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन कॉलम सख्या 05 में वर्णित दिनांक तक, छः माह की अवधि के लिए रिटेनर अधिवक्ता नियुक्त किया जाता हैः–

क्र. सं.	राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति	रिटेनर अधिवक्ता का नाम	एनरोलमेंट नम्बर	कार्य अवधि
01	02	03	04	05
1.	जोधपुर	श्री राकेश कल्ला	R/79/1999	14.09.2017

शर्ते :–

1. रिटेनर अधिवक्ता हमेशा संबंधित राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के द्वारा निर्दिष्ट किये गये कार्यों हेतु हमेशा उपलब्ध रहेंगे।
2. रिटेनर अधिवक्ता रोजाना अपनी उपस्थिति संबंधित राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव समक्ष दर्ज करायेंगे।
3. रिटेनर अधिवक्ता उसको न्यस्त किये गये कार्य के संबंध में एक डायरी संधारित करेगें तथा उसका विवरण संबंधित राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति को प्रस्तुत करेगें।
4. यदि किसी कारण से रिटेनर अधिवक्ता किसी दिवस पर अपनी सेवाएं देने में असमर्थ है तो उसकी पूर्व सूचना संबंधित राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति को देगें।
5. रिटेनर अधिवक्ता इस प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेश/परिपत्र आदि का बारीकी से अवलोकन करेंगे तथा उसमें उन्हें न्यस्त किये गये कार्यो को पूर्ण तत्परता से संपादित करेगें।
6. यदि किसी आकस्मिक कारण से रिटेनर अधिवक्ता किसी दिवस पर बिना कोई कारण दर्शित करे अनुपस्थित रहता है तो वापस आने पर अनुपस्थिति का कारण संबंधित राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष को दर्शित करेगा। रिटेनर अधिवक्ता द्वारा लगातार तीन बार बिना किसी कारण के अनुपस्थित रहने पर, कार्य करने में अपनी लिखित असमर्थता जाहिर करने पर या उसका कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर संबंधित राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष द्वारा उसको रिटेनर अधिवक्ता के पैनल से हटाने तथा नये रिटेनर अधिवक्ता की नियुक्ति की संस्तुति इस प्राधिकरण को प्रेषित की जावेगी तथा ऐसी संस्तुति प्राप्त होने पर नये रिटेनर अधिवक्ता की नियुक्ति माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय की अनुमति से की जा सकेगी।
7. यदि किसी दिवस पर रिटेनर अधिवक्ता अपनी सेवायें देने में असमर्थ रहता है तो उस दिन का मानदेय देय नहीं होगा।
8. प्रत्येक माह रिटेनर अधिवक्ता द्वारा किये गये कार्यो का समेकित विवरण राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा आगामी माह की 10 तारीख तक राज्य प्राधिकरण को प्रेषित किया जायेगा

आज्ञा से

sd

(एस. के. जैन)
सदस्य सचिव
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)

क्रमांक :31879–31890

दिनांक:31.03.2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण।
2. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जोधपुर।
3. निजी सचिव, माननीय जज इन्चार्ज, मीडियेशन राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
4. श्रीमान् सदस्य सचिव, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली
5. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. श्रीमान् पूर्णकालिक सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जोधपुर।
8. उप सचिव–प्रथम/ द्वितीय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
9. उप सचिव–ए0पी0 व एडीआर, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
10. लेखा शाखा, कार्यालय हाजा।
11. आदेश/रक्षित/संबंधित पत्रावली।

31.03.2017

(निहाल चन्द)

उप सचिव